

राष्ट्रीय लोक अदालत
लोक अदालत के समक्ष
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:-1. जगदीश 2.सीताराम पि0 देवीलाल जाति जाट निवासी रावारािया
तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:- तहसीलदार टोडारायसिंह, जिला टोंक

न्यायालय अति0 कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:- 395/2016

उपस्थित:-श्री मनीष कासलीवाल, अभि0 अपीलाण्ट/श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभि0 रेष्य0

अध्यक्ष का नाम :- श्री लोकेश कुमार गौतम, अति0 जिला कलेक्टर, टोंक
सदस्य :- 1. डॉ0 सूरजसिंह नेगी, उपखण्ड अधिकारी, टोंक
सदस्य :- 2. श्री विजय बहादुरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता


निर्णय


दिनांक 11.02.2017


पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबधानों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:-


अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोड़ने व भावध्व में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर, राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है .कि यदि अपीलाण्ट पुनः अतिक्रमण करता है या पूर्व में अतिक्रमण नहीं करने बावत शपथ पत्र पेश किया हुआ है तो अतिक्रमी के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 की कार्यवाही अमल में लायी जावे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक


प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय परोकार


सदस्य
अधिवक्ता


सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
टोंक


अध्यक्ष
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक

